न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवंम पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :— प्रार्थना पत्र संख्या 141/2019

1. हरवीर सिंह सिद्धू (पुराना नाम अंग्रेज सिंह) पुत्र श्री गेजर सिंह जाति जटसिख निवासी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. श्रीमती सुखदीप कौर सिद्धू पत्नी श्री हरवीर सिंह सिद्धू जाति जटसिख निवासी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — वादीगण

—:: बनाम ::—

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर
2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राज. काश्त. अधि. सपठित धारा 136 एल.आर एक्ट

—:: उपस्थिति ::—

1.	श्री सुरेश अरोड़ा	— — वादीगण
2.	पैरोकार राज	— — प्रतिवादी 1

—:: निर्णय ::—

दिनांक :—22.02.2021

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए., 136 एल.आर एक्ट मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण गांव लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थाई निवासी है, वादी संख्या 1 का पेशा खेती व नौकरी है तथा वादीया संख्या 2 का पेशा खेती है। वादीगण का रजिस्टर्ड पता यही है, जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वादपत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र के समर्थन में शपथ—पत्र संलग्न है तथा वाद पत्र 2 प्रतियों में प्रस्तुत है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069—2072 वाके चक 26 एल एन पी के खाता संख्या 62/40 के मुरब्बा नम्बर 25 में 1.518 है0, चक 23 एल एन पी के खाता संख्या 54/52 के मुरब्बा नम्बर 36, 37 व 52 की कुल भूमि में से 0.633 है0, इसी चक 23 एल एन पी के खाता संख्या 48/7 का मुरब्बा नम्बर 46 की 2.277 है0 में से 1/2 हिस्सा यानि 1.139 है0, इसी चक 23 एल एन पी के खाता संख्या 15/6 के मुरब्बा 46 की 2.530 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 1.265 हैक्. भूमि वादी संख्या 1 के नाम से व चक 26 एल एन पी के खाता संख्या 62/40 के मुरब्बा नम्बर 25 में 1.518 हैक. कृषि भूमि वादिया संख्या 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है। जिसके वादीगण मालिक, काबिज व खातेदार है तथा उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करकर वादीगण की परवरिश चलती है। वादीया संख्या 2 वादी संख्या 1 की धर्मपत्नी है। वादी संख्या 01 हरवीर सिंह सिद्धू का पुराना नाम अंग्रेज सिंह था इसलिए उक्त

उपखण्ड अधिकारी

भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 01 का नाम अंग्रेज सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह व वादिया संख्या 2 का नाम सुखदीप कौर पत्नी श्री अंग्रेज सिंह अंकित है। जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं। वादी संख्या 1 ने अपना नाम अंग्रेज सिंह से बदलकर हरवीर सिंह सिद्धू रख लिया है तथा अपने नाम के परिवर्तन के सम्बन्ध में राजस्थान राज पत्र में अधिसूचना का प्रकाशन यानि नाम परिवर्तन के बन्ध पत्र दिनांक 08.08.2018 का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र अंक 28 दिनांक 11.10.2018 भाग संख्या 9 के पृष्ठ संख्या 2029 पर करवा दिया है। राजस्थान राज पत्र की भिन्न प्रति संलग्न वाद पत्र है। यह कि नाम परिवर्तन के पश्चात से वादी संख्या 1 अपनी समस्त कार्यवाहियों में अपने नए नाम हरवीर सिंह सिद्धू का इस्तेमाल करता है तथा अपने हस्ताक्षर भी अपने नए नाम से करता है। वादी संख्या 1, जो कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय 5 ई छोटी श्रीगंगानगर में व.श. शिक्षक के पद पर कार्यरत है, ने अपने सर्विस रिकार्ड में भी अपना नाम अंग्रेज सिंह के स्थान पर हरवीर सिंह सिद्धू करवा लिया है तथा वादी संख्या 1 के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में भी वादी का नाम हरवीर सिंह सिद्धू हो चुका है तथा इसी प्रकार वादिया संख्या 2 के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में वादिया संख्या 2 का नाम सुखदीप कौर सिद्धू पत्नी श्री हरवीर सिंह सिद्धू अंकित हो चुका है। सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियां संलग्न वाद पत्र हैं। उक्त नाम अंग्रेज सिंह वादी संख्या 01 का ही पुराना नाम है, जो कि भूमि सम्बन्धी राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। भिन्न भिन्न नाम के कारण वादीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वादीगण अपनी उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम परिवर्तन करवा कर वादी संख्या 1 अपना नाम नाम अंग्रेज सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह के स्थान पर हरवीर सिंह सिद्धू पुत्र श्री मेजर सिंह व वादिया संख्या 2 अपना नाम सुखदीप कौर पत्नी श्री अंग्रेज सिंह के स्थान पर सुखदीप कौर सिद्धू पत्नी श्री हरवीर सिंह सिद्धू अंकित करवाना चाहती हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नया नाम दर्ज करने के लिए आवेदन/निवेदन किए हैं, मगर उन्होंने सक्षम न्यायालय से बिना घोषणा करवाए, वादीगण का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने से इन्कार कर दिया है, इस कारण यह वाद पत्र लाना आवश्यक हो गया है तथा यही वाद कारण है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 का नाम हरवीर सिंह सिद्धू पुत्र श्री मेजर सिंह व वादिया संख्या 2 का नाम सुखदीप कौर सिद्धू पत्नी श्री हरवीर सिंह सिद्धू घोषित किया जावे तथा वादीगण की वाद में वर्णित भूमि में वादीगण का नाम अनुसार दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा क्रमांक भू.अ./2020/2503 दिनांक 16.07.2020 रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट हल्का पटवारी हल्का लाधुवाला से रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार वर्तमान जमाबन्दी चक 26 एलएनपी खाता संख्या 15 मुरबा न0 46 रकबा 2.530 में से 1/2 हिसा, खाता संख्या 48 मुरबा न046/2.277 हैक. में से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 54 मुरबा न0 36, 52/5.593 हैक.. में से 0.633 हैक.. रकबा अंग्रेजसिह पुत्र मेजरसिंह जाति जटसिख रहन–एसबीबीजे शाखा एरिया श्रीगंगानगर के नाम दर्ज है। चक 26 एलएनपी के खाता संख्या 62 मुरबा न0 46/1.518 हैक. रकबा अंग्रेजसिह पुत्र मेजरसिह जाति जटसिख व इसी खाता मे मुरबा न0 46/1.518 हैक. रकबा सुखदीपकौर पत्नी अंग्रेजसिह रहन आरएमजीबी शाखा लाधुवाला के नाम दर्ज रिकार्ड है। अंग्रेजसिह ने अपना नाम बदलकर हरवीरसिंह सिधू रख लिया है जिसका गजट नोटिफिकेशन स0 3703/सूचना/राजपत्र/(2)13.11.18 जारी हुआ है। यह भूमि बैंक रहन होने के कारण सम्बन्धित बैंक शाखा से अनापत्ति लिया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना उचित है।

वादीगण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ब्रांच लादुवाला 02.
.2020, शपथ पत्र राजासिंह, निर्वाचन पहचान पत्र राजासिंह, कार्यालय ग्राम पंचायत
वाला पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उपहार पत्र दिनांक 20.06.
14, दस्तावेज दस्तवरदारी जरनैल सिंह वगैरह वहक दिनांक 23.09.2013, दस्तावेज
वरदारी करनैलसिंह वहक मेजरसिंह, कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर का
देश क्रमांक भू.अ./बंटवारा/2014 दिनांक 10.07.2014 पेश किये गये।

:: आदेश ::

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2069–2072 ग्राम का नाम 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधूवाला, भू.अ.नि.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 62/40, जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 ग्राम का नाम 23 एलएनपी पटवार हल्का लाधूवाला, भू.अ.नि.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 54/62, 48/7, 15/6, वादी संख्या 1 द्वारा आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड की प्रतियां पेश की एवं वादिया संख्या 2 द्वारा आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ब्रांच लादुवाला 02.11.2020, शपथ पत्र राजासिंह, निर्वाचन पहचान पत्र राजासिंह, कार्यालय ग्राम पंचायत लाधूवाला पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उपहार पत्र दिनांक 20.06.2014, दस्तावेज दस्तवरदारी जरनैल सिंह वगैरह वहक दिनांक 23.09.2013, दस्तावेज दस्तवरदारी करनैलसिंह वहक मेजरसिंह, कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर का आदेश क्रमांक भू.अ./बंटवारा/2014 दिनांक 10.07.2014, वादी द्वारा अपने नाम परिवर्तन सम्बन्धी गजट नोटिफिकेशन स0 3703/सूचना/राजपत्र/(2)13.11.18 आदि के अवलोकन एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी चक 23 एलएनपी खाता संख्या 15 मुरब्बा न0 46 रकबा 2.530 में से 1/2 हिसा, खाता संख्या 48 मुरबा न046/2.277 हैक. में से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 54 मुरबा न0 36, 52/5.593 हैक. में से 0.633 हैक. रकबा, चक 26 एलएनपी के खाता संख्या 62 मुरब्बा न0 25/1.518 हैक. में वादी का नाम अंग्रेजसिंह पुत्र मेजरसिंह के स्थान पर हरवीरसिंह सिद्धू उर्फ अंग्रेजसिंह पुत्र मेजरसिंह व इसी खाता में मुरब्बा न0 25/1.518 हैक. रकबा सुखदीपकौर पत्नी अंग्रेजसिंह के स्थान पर सुखदीपकौर पत्नी हरवीरसिंह सिद्धू उर्फ अंग्रेजसिंह अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित ... अंकन किया जावे। ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर